न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 09/2016

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. वेनाराम
2. हमीराराम
3. सोनाराम
4. भोमाराम पिसरान जामाजी
5. मृ0 पांचू बेवा जामाजी के का.मू. वारीसान
   5/1 हरू पुत्री जामाजी जातियान रेबारी निवासी गांग तहसील रानीवाडा

प्रतिवादीगण:

1. काना वल्द देवजी जाति कलबी निवीस गांग तहसील रानीवाडा
2. जालोर सहकार कोपरेटीव बैक शाखा रानीवाडा जरिये सचिव
3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
4. सोनाराम पुत्र वालाराम कौम कलबी साकिन गांग तहसील रानीवाडा।

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
4. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा गांग तहसील रानीवाडा में वादीगण की कब्जा सुद खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 में वादी संख्या 1 से 4 के चाचा व वादी संख्या 5 के देवर जोधा वल्द अनाजी के नाम दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान उक्त पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से नवीन खसरा नबंर 247 रकबा 0.01 हैक्टर, नवीन खसरा नबंर 248 रकबा 2.12 हैक्टर जुमले रकबा 2.13 हैक्टर सृजित किये गये तथा द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान वादी संख्या 1 से 4 के पिता व 5 के पति जामा व वादी संख्या 1 से 4 के चाचा व वादी संख्या 5 के देवर जोधा के बीच पारिवारिक बंटवाडा होने पर आपसी सहमति से उक्त पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 व 248 की खातेदारी वादी संख्या 1 से 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति जामा के नाम दर्ज की गई ।
2. द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने उक्त पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 व 248 का रकबा उक्त पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे माफिक अर्थात 14 बीधा 3 बिस्वा यानि 2.2[illegible] हैक्टर दर्ज नहीं कर गलत एवं अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के वादीगण की उक्त आराजी पुराने खसरा नबंर 112 से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 व 248 का रकबा 2.13 हैक्टर [illegible] कर दिया तथा वादीगण के पुर्वाधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

जामा वल्द अनाजी की खातेदारी में करीब 17 बिस्वा अर्थात 0.13 हैक्टर आराजी कम दर्ज कर दी तथा वादीगण की उक्त आराजी का 0.13 हैक्टर रकबा वादीगण के पश्चिमी पडौसी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 111 से सृजित नवीन खसरा नबंर 250 रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नबंर 258 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नबंर 249 रकबा 0.01 हैक्टर जुमले रकबा 3.51 हैक्टर में गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी 1 की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 111 रकबा 22 बीधा 5 बिस्वा आराजी का रकबा भी कम कर प्रतिवादी संख्या 1 के पश्चिम में पडौस में स्थित आराजी पुराने खसरा नबंर 120 रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 252 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 253 रकबा 0. 10 हैक्टर, खसरा नबंर 254 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नबंर 257 रकबा 6.92 हैक्टर जुमले रकबा 7.13 हैक्टर आराजी का कुल रकबा पुराने खसरा नबंर 120 के रकबे माफिक दर्ज नहीं कर गलत एवं अवैध रूप से करीब 43 बिस्वा अर्थात 0.34 हैक्टर अधिक दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादीगण की उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 नवीन खसरा नबंर 248 का रकबा कम कर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी का रकबा कम कर पडौसी खेत पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 के रकबे में अधिक आराजी दर्ज करने का सेटलमेन्ट कर्मचारियों को कोई अधिकार हासिल नहीं था। सेटलमेन्ट कर्मचारियों की उक्त कार्यवाही गलत अवैध व अधिकार विहिन होने से वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर का रकबा पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे माफिक अर्थात 14 बीधा 3 बिस्वा यानि 2.26 हैक्टर होने की घोषणाकरवाने के अधिकारी है तथा इसी माफिक पुराने राजस्व रेकर्ड नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नवीन खसरा नबंर 250 व 258 का रकबा कम करवाने के वादीगण अधिकारी है। यहां यह वर्णित किया जाना भी उचित होगा कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी का रकबा भी द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान कम कर पडौस के पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर के रकबे में सम्मिलित किया गया है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर सकता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे बाबत् कोई अधिकार अथवा स्वत्व हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से यह दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है।

3. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारीयों ने गलत एवं अवैध रूप से द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण की आराजी पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247, 248 का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे माफिक अर्थात 14 बीधा 3 बिस्वा यानि 2.26 हैक्टर दर्ज नहीं कर 2.13 हैक्टर दर्ज कर दिया तथा वादीगण की उक्त आराजी का रकबा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी में दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी का भी रकबा कम कर उक्त आराजी के पडौस में स्थित पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर 257, 252, 253, 254 का रकबा अवैध रूप से अधिक दर्ज कर दिया। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 28.1.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने जे.सी.बी. से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की आ0राजी के बीच की माठ पर खडे पुराने [illegible] बबूल के वृक्षों को काटा। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब वादीगण ने उक्त आराजी के पुराने राजस्व रेकर्ड की नकले ली तो वादीगण को वादीगण की आराजी के पुराने [illegible] से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 व 248 का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर के [illegible] माफिक दर्ज नहीं कर गलत एवं अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

रूप से कम रकबा दर्ज करने की जानकारी हुई। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आपसी सहमति से उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड को पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार दुरूस्त करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने में आनाकानी की। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब कल दिनांक 15.2.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि मै मेरी खातेदारी में तुम्हारी आराजी गलत दर्ज होने का फायदा उठा कर जबरदस्ती तुम्हारें कब्जे की आराजी पर कब्जा कर दुंगा तथा हमारे व तुम्हारें खेतों के बीच की पुरानी माठ को नष्ट कर दुंगा तथा तुम्हें झुठे मुकदमों में फंसा दुंगा। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

4. वादीगण इस्तदुआ है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी सरहद मौजा गांग तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नबंर 111 से सृजित नवीन खसरा नबंर 250 व 258 में से वाद पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट 'अ' में काले रंग से दर्शितानुसार 0.13 हैक्टर आराजी वादीगण की खातेदारी की होने की घोषणा की जावें तथा वादीगण की आराजी पुराने खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247, 248 का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे माफिक अर्थात 14 बीधा 3 बिस्वा यानि 2.26 हैक्टर होने की घोषणा की जावें तथा वादीगण की खातेदारी आराजी के राजस्व रेकर्ड को उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 112 के राजस्व रेकर्ड अनुसार दुरूस्त कर अमलदरामद करने हेतु आदेश फरमावें। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे कि वह वादीगण की खातेदारी आराजी मौजा गांग तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 247, 248 तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी के बीच की पुरानी माठ को न तो खुर्द–बुर्द करे तथा न ही उक्त माठ पर खडे पुराने वृक्षों को काटे तथा न ही वादीगण की कब्जा सुद उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें।

5. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादीगण 1 व 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया गया। व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बंद किया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के फिकरों को अस्वीकार करते हुए मजीद उजरात में बतया कि वादीगण ने अपने वादपत्र के पद संख्या तीन में उत्तरदाता प्रतिवादीगण अर्थात प्रतिवादीगण संख्या एक की खातेदारी का रकबा कम होना जाहिर किया है, जब उत्तरदाता प्रतिवादीगण की खातेदारी का रकबा पहले से ही कम दर्ज कर दिया है तो फिर वादीगण किसी भी आधार पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण की उपरोक्त खातेदारी आराजी के किसी भी हिस्से या रकबे की घोषणा अपने नाम से करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण के वादपत्र के पद संख्या तीन में वादीगण ने अपनी खातेदारी आराजी में कथित कमी को उत्तरदाता प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी में कथित रूप से जोडने एवं उत्तरदाता प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी के कमी वाले हिस्से को उत्तरदाता प्रतिवादीगण के पडौसी खातेदार के खातेदारी की आराजी खसरा नबंर पुराने 120 से सृजित नवीन खसरानबंर में जोडने का कथन किया है। साथ ही वादीगण ने उत्तरदाता प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजी का रकबा द्वितीय सेटलमेन्ट में कम होना भी अभिकथित किया है। इस प्रकार उत्तरदाता प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी का रकबा पहले से ही कम दर्ज है तो वादीगण अपनी खातेदारी आराजी के कथित कमीं वाले रकबे की उपरोक्त खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर की आरानीयान में से करनी चाहिए [illegible] वादीगण के अनुसार उक्त खातेदारी आराजी के खसरा नबंर की आराजी के रकबे में ही नाजायज रूप से वृद्वि हुई है। वादीगण के वादपत्र के पद संख्या तीन के अनुसार पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर के रकबे में नाजायज रूप से वृद्वि एवं वादीगण की खातेदारी की आराजी में कथित कमी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार वादीगण के वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार उक्त पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर के खातेदार इस वाद के आवश्यक पक्षकार हो जाते है, परन्तु वादीगण ने इनको पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे वादीगण का वाद पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर खारिज किए जाने योग्य होने से इसे खारिज फरमाए जाने के आदेश फरमावें।

7. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के फिकरों को अस्वीकार करते हुए मजीद उज्रात में कथन किया है कि वादीगण ने अपने पद संख्या 3 के अनुसार पुराने 120 से सृजित खसरा नबंर के रकबे में नाजायज रूप से वृद्वि होना तथा उक्त वृद्वि वादीगणों के रकबे की कमी करके की जानी अपने दस्तावेजो से साबित करने में असफल रहे है क्योंकि प्रथम पैमाईश में उक्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज थी परन्तु उस वक्त मौके पर जो ग्रामीण खेतो के उत्तर दिशा में आम सार्वजनिक रास्ता सभी खातेदारी कृषि भुमिधारको के खेतो में आवागमन हेतु रास्ता चलता था परन्तु उक्त रास्ते का रकबा राजस्व रेकर्ड में कटाण रास्ते के रूप में दर्ज ही नहीं था तथा द्वितीय भु–प्रबंध के काल के दौरान उक्त रास्ते को खसरा नबंर 252 से 254 रकबा कुल 0.21 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख में मौके पर स्थित होने से कायम किया गया जिससे वादीगण की आराजी जो वादीगण ने कभी रकबे के रूप में पुनः दर्ज करवाने हेतु रेकर्ड दुरूस्ती के जरिये खातेदारी हको की घोषणा चाही गयी है असल मे वह वास्तव में मौके पर राजस्व रेकर्ड में कभी भी पुराना चलने वाला पुराना आम सार्वजनिक रास्ता भुमि है ,जिसका उपयोग उपभोग वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 4 भी प्रथम पैमाईश से लगातार संवत् 2010 से 2074 तक लगातार निर्बाध रूप से 64 वर्षो से आवागमन हेतु करने आने से ही उक्त भुमि आम सार्वजनिक रास्ता भुमि में होने से द्वितीय भु–प्रबंध काल में सार्वजनिक रास्ता भुमि में दर्ज है। तथा धारा 16 राज टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत आम सार्वजनिक रास्ते की भुमि पर खातेदारी हकों की घोषणा करवाने का वादीगण अधिकारी नहीं है जो विधि द्वारा वर्जित है। यह आज्ञापक प्रावधान है जो वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज फरमावें।

उक्त प्रकरण में भु–प्रबंध अधिकारी के रूप में श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर अधिकृत प्राधिकारी होने से उक्त द्वितीय भुप्रबंध काल के दौरान की गई कार्यवाही के लिए उन्हें वाद पत्र का आवश्यक पक्षकार बनाये बिना वादीगण वादपत्र में आवश्यक पक्षकार के कुसंजोजन के आधार पर वादपत्र खारिज फरमावें।

वादीगणों ने अपने संपुर्ण वाद पत्र में द्वितीय भु–प्रबंध काल के दौरान सहायक भु–प्रबंधक एवं भुमि अभिलेख अधिकारी जोधपुर के द्वारा कार्यवाही करने के त्रुटि पुर्ण अभिवचन करने पर भुमि अधिकारी तहसीलदार के विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए उनके विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत करने से 60 दिवस पुर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाने का आज्ञापक प्रावधान है तथा अपने अभिवचनों में मिथ्या कथनों का भरमार उल्लेख करने से न्यायिक कार्यवाही के दौरान मिथ्या कथन का नहीं होना ठहराकर वास्तविक मुल तथ्यों को छिपाकर न्याय प्राप्ति करने के प्रयास करने वालो वादीगणों को धारा 80(2) सीपीसी के प्रावधानों का एक तरफा लाभ दिया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व वर्जित है। जिसके वादीगण अधिकारी नहीं है सो धारा 80 सीपीसी के 60 दिवस पुर्व नोटिस नहीं देने से वादीगणों का वाद चलने योग्य नहीं है सो वाद पत्र खारिज फरमावें। वादीगणों के वाद पत्र में वर्णित अपने अभिवचनों से प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व दिनांक 28.1.2016 को किसी भी प्रकार की जे. सी. बी. लेकर नहीं गया ना ही किसी प्रकार की ऐलानियां धमकी दी सो किसी भी प्रकार का विनाय वाद प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व उत्पन्न हुआ हो ऐसा पुरे वाद पत्र में कहीं भी उल्लेखित नहीं होने से बिना विनाय वाद वादीगणों का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व [illegible] होने से खारिज फरमावें। व दानपत्र दस्तावेज दिनांक 2.2.2008 एवं आदान प्रदान दस्तावेज दिनांक 13.10.2009 को सक्षम सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय वादीगण द्वारा अपास्त करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमावें।

8. हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके आधार 6 तनकीयात कायम की गई तथा दोनों के अधिवक्ता द्वारा एक्सप्लेन की गई। जिस पर सहमति प्रकट की।

9. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में व प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेज फेहरिश्त के साथ पेश किये गए। जो वादीगण व प्रतिवादीगण साक्ष्य के दौरान प्रदशित करवाये गए। तथा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य श्री हमीराराम पुत्र जामाजी को प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण के जवाबदावा के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 काना पुत्र देवा व प्रतिवादी संख्या 4 सोनाराम पुत्र वालाराम को प्रस्तुत किये। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। जिनकी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों के अधिवक्ता ने करवाये गये।

10. हमने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का भली भांति अध्ययन किया एवं बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसा किया जाता है।

तनकी संख्या–1

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वाद पत्र एवं उसके साथ दस्तावेज पेश किये एवं साक्ष्य भी करवाई गई। वादी ने मौजा गांग में स्थित पुराने खसरा नबंर 117 से सृजित नवीन खसरा नबंर 250 व 258 में से वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में काले रंग से दर्शितानुसार 0.13 हैक्टर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज के वादीगण खातेदारी हको की घोषणा का अधिकारी है तथा वादीगण की आराजी पुराने खसरा नबंर 11 रकबा 14 बिधा 3 बिस्वा से सृजित नवीन खसरा नबंर 247 व 248 का रकबा उक्त आराजी के पुराने खसरा नबंर 112 के रकबे माफिक अर्थात 14 बीधा 3 बिस्वा यानि 2.26 हैक्टर होने से वादीगण हको की घोषणा करवाने अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। हमने वादीगणों के वाद पत्र व उसके साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' काले रंग से दर्शित खसरा नबंर 250 व 258 में से 0.13 हैक्टर कम की जाकर वादीगण में से खसरा नबंर 247 व 248 के रकबे में जोडकर जुमले रकबा 2.26 हैक्टर किया जावे। इस संबंध में वादीगण ने दस्तावेज फहरिस्त के साथ प्रस्तुत किये एवं साक्ष्य वादीगण पक्ष के गवाह पी.डब्ल्यु –2 श्री हमीराराम ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जो पी. डब्ल्यु –1 है। तथा इस पर एक्स स्थान पर मेरे अंगुष्ठ निशान है। आगे बयान में व्यक्त किया कि मैने मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 112 की जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–2 मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 111 की जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–2, मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 112, 111 से सृजित नवीन खसरा नबंर के मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित नकल प्रदर्श–3 मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 247,248 की द्वितीय सेटलमेन्ट की मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित नकल प्रदर्श–4, मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 247,248 की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–5, मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 249, 250, 258 की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–6, मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 120 की जमांबदी संवत् 2035 से 2038 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–7, मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 120 से सृजित नवीन खसरा नबंर के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकल प्रदर्श–8, मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 252,253, 254, 257 की द्वितीय सेटलमेन्ट की मिलान बन्दोबस्त की प्रमाणित नकल प्रदर्श–9 मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–[illegible] मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 250,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

258, 249 की द्वितीय सेटलमेन्ट की मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित नकल प्रदर्श–11, मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 111, 112 व 120 के नक्शा की प्रमाणित ट्रेस प्रति प्रदर्श–12, मौजा गांग के नवीन खसरा नबंर 247, 248, 257, 249, 252, 253, 254, 250 वगैरा के चालु नक्शा की प्रमाणित ट्रेस की प्रति प्रदर्श–13, दस्तावेजी सबुत के रूप में मेरे दावे के समर्थन में दस्तावेज पेश किये है तथा मेरे पुत्र गोकलाराम द्वारा पुलिस थाना रानीवाडा में पेश प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पेश की है। मेरा दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह में मेरी जमीन के खसरा नबंर मुझे याद नहीं है, अजखुद ने कहा कि मै अनपढ हुं। यह कहना गलत है कि मेरी जमीन का रकबा पता नहीं है अजखुद कहा कि मेरी जमीन 14 बीधा 3 बिस्वा है। मेरे पडौस के खसरा नबंर पुराने पता नहीं है परन्तु पडौस में कानाराम की जमीन है। उक्त जमीन हमारे बाप–दादा की है। हमारे व कानाराम के खेतो की पैमाईश करवाई। उससे पहले कानाराम ने पेड काट दिये थे। यह कहना गलत है कि मैने कानाराम की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हो। यह कहना गलत है कि कानाराम के पहले से जमीन कम हुई हो तथा मैने उसके विरूद्व गलत दावा किया हो।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा ने जिरह की। जिरह में कहा कि मैने न्यायालय में दावा पेश किये साढे तीन साल हुए है। यह कहना सही है कि मैने दावा पेश किया तब सोनाराम के विरूद्व पेश नही किया। यह कहना सही है कि जो थाने में वृक्ष काटने की रिपोर्ट दी थी, उसमें श्री सोनाराम का नाम नही था। पहला सेटलमेन्ट कितने वर्ष पहले हुआ मुझे याद नहीं है। मेरी उम्र 64 वर्ष है। मेरे जन्म से लेकर 64 वर्ष की उम्र तक मैने मेरी जमीन व पडौसी कानाराम की जमीन पर लगातार काश्त करता आ रहा हुं। यह कहना सही है कि मैने व मेरे भाईयों ने कभी भी मेरे जीवनकाल में सोनाराम पुत्र वालाराम कलबी के नाम दर्ज आराजी पर काश्त नहीं की। यह कहना सही है कि मेरी कम हुई जमीन प्रतिवादी सोनाराम के नाम दर्ज खातेदारी में नही गई मेरी जमीन प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के विरूद्व है। सोनाराम के विरूद्व दावा नहीं किया है, मैने सोनाराम को न्यायालय के रेवेन्यु रेकर्ड के विरूद्व जाकर कोई अनुतोष नहीं चाहा है। यह कहना गलत है कि मै कोर्ट में झुठे ब्यान दे रहा हुं। वादीगण की जमाबंदी प्रदर्श–1 मे पुराना खसरा नबंर 112 का रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा खातेदार जोधा पुत्र अना रेबारी के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 की जमाबंदी प्रदर्श–2 में खसरा नबंर 111 का रकबा 22 बीधा 5 बिस्वा देवजी पुत्र वेला कलबी के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल में पुराना खसरा नबंर 112 से नवीन खसरा नबंर 247 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नबंर 248 रकबा 2.12 हैक्टर बना। इस पुराना खसरा नबंर 112 रकबा 14 बीधा 5 बिस्वा के स्थान पर द्वितीय सेटलमेन्ट में खसरा नबंर 247, 248 का जुमले रकबा 2.13 हैक्टर बनने से 0.13 हैक्टर वादीगण के खाते में कम दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या–1 के पुराना खसरा संख्या 111 रकबा 22 बीधा 5 बिस्वा के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 249, 250, 258 रकबा क्रमशः 0.01, 2.50, 1.00 हैक्टर जुमले रकबा 3.51 हैक्टर बना। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में पुराना खसरा नबंर 111 से नवीन खसरा नबंर 249, 250, 258 बने, जिसका रकबा 3.51 हैक्टर दर्ज है। जबकि पुराने खसरा नबंर 111 रकबा 22 बीधा 5 बिस्वा से कम है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 की आराजी पहले से कम होने से उसमें से 0.13 हैक्टर की मांग करने का अधिकारी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 की मा[illegible] 40 वर्ष पुरानी है तथा लोर पर करीब 5–6 वृक्ष है। इसी अनुसार प्रदर्श–4, 5,6 में उक्तानु[illegible] ही नवीन खसरा नबंरान रकबा दर्ज है। खतौनी बन्दौबस्त प्रदर्श–7 में खा[illegible] 144 [illegible] पुत्र [illegible] कलबी के पुराने खसरा नबंर 120 रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा दर्ज है। प्रदर्श–8 [illegible]न क्षेत्रफल खसरा संख्या 120 से खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 252, 253, 254, 257 रकबा क्रमशः 0.06, 0.10, 0.05, 6.92 हैक्टर जुमले रकबा 7.13 हैक्टर दर्ज है। प्रदर्श–9 प्रदर्श–4 की प्रति है। जमाबंदी प्रदर्श–10 के खाता संख्या 247 सोनाराम पुत्र वालाराम कलबी खसरा संख्या 252, 253, 254, 257, 761/283 रकबा क्रमशः 0. 06, 0.10, 0.05, 6.92, 2.61 हैक्टर जुमले रकबा 9.47 हैक्टर दर्ज है। इस प्रकार पुराना खसरा नबंर 112 से नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 बने, जिसका रकबा 7.13 हैक्टर बनता है। खसरा संख्या 761/283 रकबा 2.61 हैक्टर का पुराना खसरा नबंर प्रदर्श–8 के अनुसार नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–4 सोनाराम में 2.61 हैक्टर ज्यादा रकबा दर्ज हुआ है। प्रदर्श–12 पुराना खसरान का नक्शा ट्रेस पेश किया गया है। जिसमें खसरा नबंर 111 व 120 का अंकन है। प्रदर्श–13 नक्शा ट्रेस में 111 व 112 के नवीन खसरा नम्बर अंकित है। एवं खसरा नबंर 120 का केवल खसरा संख्या 257 अंकित है। प्रदर्श–11 की जमाबंदी प्रतिवादी संख्या –1 की प्रस्तुत की है। जिसमें नवीन खसरा नबंर 250, 258, 249 जुमले रकबा 3.51 हैक्टर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–4 के पुराने खसरा संख्या 120 रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा का हैक्टर प्रणाली में 6.92 हैक्टर होती है, जबकि 7.13 हैक्टर दर्ज है। इस प्रकार 0.21 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज है। परन्तु प्रतिवादी संख्या–4 से अनुतोष में जवाबदावा के विरूद्व वादीगण को काउण्टर क्लेम करना चाहिये था। परन्तु ऐसा नही किया। साथ ही नक्शा ट्रेस में नवीन संख्या पुराना खसरा संख्या 120 से बना मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–13 में अंकित नहीं पेश किया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने साक्ष्य शपथ पत्र में उनकी आराजी वादीगण का कम रकबा नहीं निकलता है और मेरी खातेदारी में भी कम रकबा होना व्यक्त किया तथा खसरा संख्या 120 पुराने के नये खसरा संख्या बने उसमे अधिक रकबा दर्ज है।

इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 से द्वितीय सेलटमेन्ट में कम दर्ज हुए आराजी 0.13 हैक्टर साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

उपर्युक्त तनकी संख्या–1 के विवेचन व विश्लेषण के अनुसार वादीगण की द्वितीय सेटलमेन्ट में 0.13 हैक्टर आराजी कम दर्ज हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 की पुराने खसरा संख्या 111 की भी द्वितीय सेटलमेन्ट में नवीन खसरा संख्या अनुसार 0.10 हैक्टर आराजी कम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी द्वितीय सेटलमेन्ट में कम है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 की आराजी के बीच पुरानी माठ है तथा वृक्ष खडे है। इस प्रकार पुरानी स्थिति के अनुसार माठ मौजुद है तथा दोनो पक्षों की खातेदारी में आराजी कम आने से एक दुसरे के खातेदारी आराजी को यथावत बनाये रखना दोनों पक्षों के हित मे है। ऐसी में वादीगण की आराजी नवीन खसरा संख्या 247, 248 तथा प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी आराजी के बीच की पुरानी माठ को प्रतिवादी संख्या–1 न तो खुर्द–बुर्द करे तथा न ही उक्त माठ पर खडे पुराने वृक्षों को काटे एवं वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: Self-Attested

उपर्युक्त तनकी संख्या–1 के विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार प्रतिवादी संख्या–1 के खातेदारी आराजी द्वितीय सेटलमेन्ट में कम हो जाना रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 की आराजी में से 0.13 हैक्टर कम आराजी

की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं होना साबित होने से यह तनकी प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–4

उपर्युक्त तनकी संख्या–1 के विवेचन व विश्लेषन के आधार पर वादीगण के खातेदारी आराजी 0.13 हैक्टर कम है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने भी मेरे पुराने खसरा से नवीन आराजी कम दर्ज हुई है। जबकि खसरा नबंर 120 पुराने खसरा से नवीन खसरा दर्ज होने से नाजायज रूप से वृद्वि होने से अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। परन्तु वादीगण ने खसरा नबंर 120 में से अपने खातेदारी आराजी 0.13 हैक्टर की घोषणा कराने की मांग नहीं की गई है। और न ही प्रतिवादी संख्या 4 से अनुतोष की इस्तदुआ की गई है। ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–5

वादीगण द्वारा कथित कम रकबे का वाद पत्र में पुराने खसरा संख्या 120 के नवीन खसरे के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं करने के आधार पर वादीगण अनुतोष नहीं चाहने से नहीं प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा पर जवाब उल जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश नहीं करने से पुराना खसरा नबंर 120 के नवीन खसरों में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना साबित करता है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–6

प्रतिवादी संख्या–4 ने पुराना खसरा नबंर 120 की आराजी में से वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने खेतो में आवागमन हेतु प्रथम सेटलमेन्ट से उपयोग उपभोग करने से द्वितीय सेटलमेन्ट में उक्त पुराना रास्ता रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से नवीन खसरा नबंर 252 से 254 रकबा 0.21 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है। उक्त रास्ता आर.टी. एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित होने से वादीगण खातेदारी की घोषणा का दावा लडने का अधिकारी नहीं होना प्रतिवादी में पक्षकार बनकर जवाबदावा प्रस्तुत किया बयान में बताया कि जो प्रदर्श–डी.डब्ल्यु–1 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जवाबदावा के समर्थन में जमाबंदीया मौजा गांग खाता संख्या 235 संवत्–2066 से 2069 की छाया प्रति पेश की। इसी प्रकार जमाबंदी खाता संख्या 149 मौजा गांग संख्या 2066 से 2069 की छाया प्रति पेश की। मैने मौजा गांग के मेरे खातेदारी की राजस्व विभाग द्वारा जारी खातेदारी पास बुक पुराने खाता संख्या 120 की छाया प्रति पेश की। मौजा गांग के भु–प्रबंधकाल के दौरान मेरे नाम की खातेदारी के प्रमाणिकरण के लिए जारी पर्चा कुल दो दस्तावेज की छाया प्रति पेश की। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी पक्का पर्चा लगान की छाया प्रति पेश किये।

जिरह में व्यक्त किया कि यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 काना के खेत के पडौस हमारा खेत आया हुआ है। मेरे खेत के पुराने खसरा नबंर 120 है तथा नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 रेकर्ड अनुसार होगें। यह कहना गलत है कि खातेदारी में द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान ज्यादा रकबा दर्ज किया। यह कहना सही है कि मैने मेरे कथनों के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। केवल फोटो कॉपिया पेश की है। यह कहना सही है कि वेनाराम व मेरा खेत प्रतिवादी कानाराम का खेत आया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SetAttested

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2066–2069 खाता संख्या 235 में सोनाराम, मफाराम पिसरान वालाजी कलबी साकिन हेद खातेदार अंकित है। जिसमें नवीन खसरा संख्या 252, 253, 254, 257 रकबा क्रमशः 0.0600, 0.1000,0.0600, 6.9200 हैक्टर जुमले रकबा 8.58 हुआ जबकि पुराना खसरा संख्या 120 का नवीन खसरा नबंर 257 बना है। पुराना खसरा संख्या 120 का रकबा 42 बीधा 3 बिस्वा प्रदर्श–3 के अनसार वाला पुत्र अमरा कलबी के नाम दर्ज है। जिसका मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–8 के अनुसार खसरा संख्या 252, 253, 254, 257 रकबा क्रमशः 0.6, 0.10, 0.05, 6.92 हैक्टर जुमले रकबा 7.13 हैक्टर बना है, जबकि पुराना खसरा नबंर 120 का नवीन खसरा नबंर 257 रकबा 6.92 हैक्टर बना है। जबकि खसरा नबंर 252,253, 254 का रकबा 0.6, 0.10, 0.05 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर द्वितीय बन्दोबस्त की त्रुटि से अधिक रकबा दर्ज किया है। उक्त आराजी जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श–10 में प्रतिवादी संख्या 4 के खाते में दर्ज है। प्रदर्श–12 नक्शा ट्रेस में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है। जबकि नवीन खसरा संख्या के प्रदर्श–13 में गैर मुमकिन रास्ता है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 में खाता संख्या 252, 253, 254 रकबा 0.0600, 0.1000, 0.0500 जुमले रकबा 0.21 हैक्टर आराजी खाता संख्या 149 में मफाराम, कानाराम, लाखाराम पिसरान वाला कौम कलबी साकिन खातेदार में अधिक दर्ज है। द्वितीय सेटलमेन्ट के भु–प्रबंध अधिकारी को किसी खातेदार का रकबा बिना किसी न्यायालय के सक्षम आदेश के बढाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार भु–प्रबंध अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। खातेदार मफाराम, कानाराम, लाखाराम पिसरान वाला जाति कलबी की पास खाता संख्या 252, 253, 254 रकबा क्रमशः0.06, 0.10, 0.05 जुमले 0.21 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता के नाम से दर्ज है। जबकि पुराना खाता संख्या 120 का नवीन खसरा संख्या 257 रकबा 6.92 हैक्टर सही दर्ज है। इससे अधिक रकबा खसरा नबंर 120 का नही बनता है। इस प्रकार अवैधानिक तरीके से मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–8 में खसरा नबंर 120, 120मी, 120मी, 120मी, का रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा अंकित होते हुए नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 अंकित कर कुल रकबा 7.13 अंकित की गयी, जबकि पुराना खसरा नबंर 120 रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा का रकबा 6.92 हैक्टर बनता है। जो खाते में दर्ज है। उक्त आराजी 0.21 हैक्टर के खाता संख्या 252, 253, 254, की आराजी नक्शा पास बुक में रास्ता की दर्शाई गई है। जबकि रास्ते की आवश्यकता या रास्ते की मांग किसी खातेदार द्वारा करते हुए कार्यवाही नहीं करना पाया गया है। जो विधि विरूद्व है। इसके साथ ही खातेदारी की अधिकारी आराजी खातेदार के खातें में दर्ज करने का कोई विधिसम्मत प्रावधान नहीं है। जो अवैधानिक प्रक्रिया से खातेदार की आराजी में दर्ज की गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 अपनी खातेदारी की विधिसम्मत कार्यवाही करके प्राप्त करना साबित करने में असफल रहा है। जब तक वैधानिक मालिक काना हक खातेदार का नहीं होने से विधि विरूद्व खातेदार के खाते में दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 ने बख्शीशनामा दिनांक 2.2.2008 को कानाराम, लाखाराम पिसरान वालाजी जाति कलबी साकिन गांग ने सोनाराम पुत्र वालाजी जाति कलबी साकिन गांग के हक में खसरा नबंर 252, 253, 254 रकबा क्रमंशः 0.06, 0.10, 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की आराजी बख्शीश की है, जो बख्शीशकर्ता के मालिकाना हक की आराजी नहीं है, चुंकि उक्त आराजी बख्शीशकर्ता के मालिकाना हक से अधिक आराजी है, जो केवल अवैधानिक रूप से खातेदारी आराजी में दर्ज होने से उस पर उनका हक हकुक नही बनता है। अवैध रूप में खाते में दर्ज आराजी को बख्शीशकर्ता को कोई कानुनीया अधिकार नहीं है। इसी विधिविरूद्व बख्शीशनामा संख्या 2008/[illegible] दिनांक 2.2.2008 पंजीयन किया गया, निष्प्रभावी करार दिया जाता है। जिसका किसी भी [illegible] पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। चुंकि अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के [illegible] संवत् 2062 से 2065 के खसरा नबंर 252, 253, 254 की आराजी क्रमंशः रकबा 0.0[illegible]0, 0.1000, 0.0500 हैक्टर जुमले रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

2100 हैक्टर आराजी खाते से निरस्त की जाती है। तथा राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–7

भु–प्रबंध अधिकारी के अधिकार भु–प्रबंध कार्य समाप्त होने पर धारा 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी को शक्तियां प्रदत्त है तथा इस वाद में धारा 136 भी शामिल है। इसलिए जिला कलक्टर को आवश्यक पक्षकार बनाना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 ने इस संबंध में कोई कानुनी प्रावधान की नजीर कानुन न्यायालय को प्रस्तुत कर संतुष्ट कराने में असफल रहा है। अतः तनकी प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–8

वादीगण ने वाद पत्र के साथ पृथक से कारण व्यक्त करते हुए धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 80 का नोटिस दिये जाने से विमुक्ति हेतु विनती की जाने से पृथक से तहसीलदार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष व प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–9

वादीगण द्वारा वाद प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा पुरानी माठ पर खडे वृक्ष काटने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी वादीगण के पहले से 0.13 हैक्टर आराजी होते हुए माठ को समतल कर वादीगण की आराजी में प्रवेश करने स्थिति पर विनायवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बिना विनायवाद दावा पेश करने संबंध में कोई दस्तावेजी सबुत प्रस्तुत नहीं किये है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–10

वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड से साबित किया गया है पुराने खसरा नबंर 120 का रकबा 22 बीधा 8 बिस्वा का द्वितीय भु–प्रबंध के दौरान उक्त पुराने खसरा संख्या 120 की आराजी नवीन खसरा संख्या 257 रकबा 6.92 हैक्टर होती है, जबकि खातेदारी में अवैधानिक तरीके से संख्या 252, 253, 254 जुमले रकबा 0.21 हैक्टर अधिक आराजी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज होने से उक्त आराजी पर किसी प्रकार का मालिकाना हक बख्शीशकर्ता मफाराम व कानाराम को नहीं होते हुए दिनांक 02.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में बख्शीशनामा पंजीयन करवाया गया। जो वादीगण व अन्य पक्षकार पर निष्प्रभावी है। इसलिए पंजीकृत बख्शीशनामा को सिविल न्यायालय से खारीज करवाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के समक्ष अवैध रूप से आराजी दर्ज होने पर पंजीकृत दस्तावेज को निष्प्रभावी घोषित किया जाकर अवैधानिक रूप से दर्ज आराजी को खाते से पृथक किया जाने के लिए न्यायालय स्वविवेक सक्षम है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

11. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करने पर प्रमाण की पुराने खसरा नबंर के रकबा के अनुसार 0.13 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी आराजी में सम्मिलित होने का

वाद प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम की भी पुराने खसरा संख्या के रकबे से 0.10 हैक्टर की आराजी कम दर्ज हुई है। इस प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम में वादीगण की आराजी का 0.13 हैक्टर शामिल होना राजस्व रेकर्ड के प्रस्तुत दस्तावेज से साबित नही पाया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी आराजी पुराने खसरा संख्या 120 से नवीन खसरा संख्या 252, 253, 254 जुमले रकबा 0.21 हैक्टर की आराजी अधिक पाई गयी। उक्त प्रतिवादी से वादीगण ने वाद में अनुतोष नहीं चाहा और न ही नक्शा ट्रेस प्रदर्श–13 में दर्शित है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जमाबंदी व पास बुक की छाया प्रतियां पेश की। जिसमें नवीन खसरा संख्या 252, 253, 254 जुमले रकबा 0.21 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्शा कर अपने खाते में दर्ज करवाया जाना पाया गया। जो भु–प्रबंध विभाग की बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के अवैधानिक रूप से दर्ज किया जाना पाया गया। जो उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं रखा जा सकता क्योंकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 4 का कोई वैधानिक मालिक हक नहीं है। अतः अवैधानिक रूप से उक्त गैर मुमकिन रास्ता खाते में दर्ज है। जिसको खातेदारी मे से हटाकर राजस्थान सरकार खाता संख्या 1 में दर्ज किया जाना न्याय संगत पाया गया।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद तनकीवाईज विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर वादीगण के पुरानी खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 112 रकबा 14 बीधा 3 बिस्वा की नवीन खसरा संख्या 247, 248 जुमले रकबा 2.13 हैक्टर प्रदर्श–5 में दर्ज होने प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम की पुरानी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 111 रकबा 22 बीधा 5 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 249, 250, 258 जुमले रकबा 3.51 हैक्टर प्रदर्श–6 में दर्ज है। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के पुराने खसरे के रकबे से 0.10 हैक्टर कम होना राजस्व रेकर्ड से साबित हुआ। इस प्रकार दोनों पक्षों की नवीन खातेदारी में पुराने खसरा की आराजी से कम पाई जाने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम की आराजी में अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं होने से वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। तथा तनकी संख्या 2 के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है। वादीगण की आराजी खसरा संख्या 247, 248 जुमले रकबा 2.13 हैक्टर में किसी प्रकार की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व उनके उत्तराधिकारी दखलन्दाजी नहीं करे तथा दोनो पक्षों की आराजी के बीच माठ बनी हुई है तथा वृक्ष खडे है। उनको बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं काटे तथा माठ यथावत बनी रखे।

प्रतिवादी संख्या 4 के पुराने खसरा नबंर 120 रकबा 42 बीधा 8 बिस्वा का नवीन खसरा नबंर 252, 253, 254, 257 रकबा क्रमंशः 0.06, 0.10, 0.05, 6.92 हैक्टर दर्ज खातेदारी में प्रदर्श–10 के एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की फोटो कॉपी के अनुसार दर्ज है। प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल में पु राने खसरा नबंर 120, 120मी. 120मी. 120मी. से उक्त आराजी अंकित की गई है, जो भु–प्रबंध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त खसरा नबंरान बनाकर खातेदारी आराजी का रकबा बढाया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 4 खसरा संख्या 252, 253, 254 रकबा 0.21 हैक्टर अधिक खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन रास्ता की आराजी अवैधानिक रूप से प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी में नहीं रखी जा सकती। इस संबंध में तनकी सं[illegible] किया गया है। जिसके अनुसार अवैधानिक रूप से अधिक आराजी प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज रखी जाना न्यायसंगत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी आराजी में दर्ज खसरा नबंर 252, 253, 254 रकबा क्रमंशः 0.06, 0.10, 0.05 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता निरस्त की जाकर राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

अतः उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे।

तहसीलदार रानीवाडा उक्त निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा पालना हेतु भेजा जावें। तहसीलदार रानीवाडा उक्त निर्णय डिक्री पर्चा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर पालना इस न्यायालय को पेश करे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. वेनाराम 2. हमीराराम 3. सोनाराम 4. भोमाराम पिसरान जामाजी 5. मृ0 पांचू बेवा जामाजी के का. मू. वारीसान 5/1 हरू पुत्री जामाजी जातियान रेबारी निवासी गांग तहसील रानीवाडा	**बनाम**	1. काना वल्द देवजी जाति कलबी निवीस गांग तहसील रानीवाडा 2. जालोर सहकार कोपरेटीव बैक शाखा रानीवाडा जरिये सचिव 3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 4. सोनाराम पुत्र वालाराम कौम कलबी साकिन गांग तहसील रानीवाडा।

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 09/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकिल श्री श्रवणसिंह देवड़ा व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा गांग में प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के पुराने खसरे के रकबे से 0.10 हैक्टर कम होना राजस्व रेकर्ड से साबित हुआ। इस प्रकार दोनों पक्षों की नवीन खातेदारी में पुराने खसरा की आराजी से कम पाई जाने से वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम की आराजी में अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं होने से वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। तथा तनकी संख्या 2 के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है। वादीगण की आराजी खसरा संख्या 247, 248 जुमले रकबा 2.13 हैक्टर में किसी प्रकार की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व उनके उत्तराधिकारी दखलन्दाजी नहीं करे तथा दोनो पक्षों की आराजी के बीच माठ बनी हुई है तथा वृक्ष खडे है। उनको बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं काटे तथा माठ यथावत बनी रखे।

भु–प्रबंध विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से खसरा संख्या 252, 253, 254 रकबा 0.21 हैक्टर अधिक खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन रास्ता की आराजी अवैधानिक रूप से प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी में नहीं रखी जा सकती। इस संबंध में तनकी संख्या–6 में विस्तृत विवेचन किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी आराजी में दर्ज खसरा नबंर 252, 253, 254 रकबा क्रमंशः 0.06, 0.10, 0.05 हैक्टर जुमले रकबा 0.21 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता निरस्त की जाकर राजस्थान सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11.07.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00		0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:58:50 IST
Reason: SelfAttested